# राजस्थान सरकार
## निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फैक्स नं.–0141–2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/16/9790 दिनांक :– 13/12/16

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद/पालिका,

समस्त राजस्थान।

विषय :– नवनियुक्त लिपिक ग्रेड–II को कार्य ग्रहण कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2016 क्रमांक 9683–9698

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1) के प्रावधानों अन्तर्गत लिपिक ग्रेड–II के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नगरीय निकायों में 07 दिवस में ड्यूटी ज्वाईन करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा नगरीय निकायों में ड्यूटी ज्वाईन नहीं की गई है।

राज्य की नगरीय निकायों में कार्मिकों की भारी कमी है तथा भर्ती प्रक्रिया में राज्य सरकार का काफी धन व समय व्यय हुआ है। कई अभ्यर्थी अन्य विभागों से कार्यमुक्त होने में देरी के कारण भी उपस्थिति नहीं हो पा रहे है।

अतः ऐसी स्थिति में लिपिक ग्रेड–II के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नगरीय निकायों में दिनांक 15.12.2016 तक कार्यग्रहण कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

D:\D Document\Document Files\Parik G sir\LETER - 2016.docx LETER-2016-146